विद्या भारती संस्थान
सीकर (राज.)

(राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राज. अधि. संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत पंजीकृत)

रजिस्ट्रेशन नम्बर : 36/सीकर/1991-92

विधान (नियमावली)

(संशोधनों को समाहित करते हुए दिनांक 30.09.10 की साधारण सभा में स्वीकृत विधान (नियमावली) की मूल प्रति)

पंजीकृत पता

विद्या भारती संस्थान

तोदी नगर, सीकर (राज.)

विद्या भारती संस्थान, सीकर (राज.)

(राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राज. अधि. संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत पंजीकृत)

रजिस्ट्रेशन नम्बर : 36/सीकर/1991-92

विधान (नियमावली)

(संशोधनों को समाहित करते हुए दिनांक 30.09.10 की साधारण सभा में स्वीकृत विधान (नियमावली) की मूल प्रति)

(1) संस्था का नाम : इस संस्था का नाम **विद्या भारती संस्थान** है, व रहेगा।

(2) पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय **तोदी नगर, सीकर** है तथा इसका कार्यक्षेत्र **भारत** देश तक सीमित होगा।

(3) संस्था के उद्देश्य : **इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-**

1. शैक्षिक व सामाजिक उन्नयन के लिए शोध केन्द्रों, शिक्षण संस्थानों, शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों आदि की स्थापना करना।
2. शैक्षिक व सामाजिक क्षेत्र के विषयों पर सेमिनार संगोष्ठियों, व्याख्यान, परिचर्चायें आदि आयोजित करना।
3. अध्ययनरत छात्रों के गुण विकास में मदद करने, उनकी मौलिक प्रतिभा को सृजनात्मक स्वरूप प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं को आयोजन करना।
4. बालक-बालिकाओं, महिलाओं व बड़ों के शैक्षणिक व शारीरिक विकास के लिए बहुउद्देशीय शिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।
5. बालक-बालिकाओं के बौद्धिक विकास हेतु बाल बाड़ी, आंगन बाड़ी, बाल-शिविर, बाल-मेले आदि का संचालन करना।
6. सामाजिक उत्थान के लिए पुस्तकालय, वाचनालय चिकित्सालय, तथा मनोरंजन केन्द्र संचालित करना।
7. शैक्षिक व साहित्यिक विकास हेतु पत्रिका, अखबार, पुस्तकों आदि का प्रकाशन, कवि-सम्मेलन, काव्य-गोष्ठियां, गद्य-पद्य समीक्षा, साहित्यिक परिचर्चायें आदि आयोजित करना।
8. अनाथ, निराश्रित, अपंग, अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लिए विशेष सेवा प्रकल्प हाथ में लेना।
9. प्रमुख शैक्षिक व सामाजिक संस्थाओं के लिए सर्वेक्षण करना व उनके निदान के लिए आवश्यक सुझावों का प्रतिपादन करना।
10. गरीब व निराश्रित लोगों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा व सहायता उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल, नर्सिंग होम, मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, क्लिनिक मोबाइल चिकित्सा सेवायें स्थापित करना व इस तरह के प्रकल्पों को वित्तीय सहायता व संसाधन उपलब्ध कराना।
11. स्वास्थ्य शिक्षा, शिशु व बाल स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, एड्स, एच.आई.वी., लेप्रोसी, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य जागरूकता, सामान्य स्वास्थ्य (निदान- उपचार) व्यावसायिक और पर्यावरण स्वास्थ्य, समुदाय स्वास्थ्य, शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग, आदि क्षेत्रों में कार्य करना व इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं व व्यक्तियों को आर्थिक सहायता व संसाधन उपलब्ध कराना।
12. प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, सूखा, अकाल, अग्निकांड, दुर्घटनायें व जानमाल का नुकसान करने वाली किसी भी घटनाओं के दौरान पीड़ितों को सहायता व सेवा उपलब्ध कराना, तथा इस तरह का कार्य करने वाले संगठनों/व्यक्तियों को आर्थिक सहायता व संसाधन उपलब्ध कराना।

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
विद्या भारती संस्थान	विद्या भारती संस्थान	विद्या भारती संस्थान
सीकर (राज.)	सीकर (राज.)	सीकर (राज.)

13. पर्यावरण-परिस्थिति, सामाजिक वानिकी, संयुक्त वन प्रबंध, पर्यावरण-प्रदूषण रोकथाम, पशु-संरक्षण तथा जानवरों पर अत्याचार की रोकथाम के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करना, तथा इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं/व्यक्तियों को वित्तीय सहायता, संसाधन व सेवायें उपलब्ध कराना।
14. ग्रामीण विकास और कृषि के क्षेत्र में बंजर भूमि विकास व प्रबंधन, लघु ऋण उपलब्ध कराने, भूमि अधिकार, भूमि सुधार, भूमि विकास, आई.आर.डी.पी., स्व-सहायता समूह, आर्थिक सशक्तीकरण, स्वरोजगार, कम लागत पर ग्रामीण आवास, कृषि-मार्केटिंग सिंचाई आदि के बारे में प्रशिक्षण व प्रबंधन का कार्य करना व इस तरह के कार्य करने वाली संस्थाओं/व्यक्तियों को वित्तीय सहायता, संधाधन व सेवायें उपलब्ध कराना।
15. विभिन्न क्षेत्रों में कन्सलटेन्सी, शोध, प्रकाशन, सूचना-प्रसार नेटवर्किंग आदि का कार्य करना।
16. अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा जागरूकता साक्षरता आदि क्षेत्र में कार्य करना।
17. केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों के विभाग व मंत्रालयों, जिला प्रशासन, व्यावसायिक व व्यापारिक घरानों, देशी व विदेशी गैर-सरकारी संस्थाओं से आर्थिक सहायता व अन्य सहयोग प्राप्त कर विभिन्न परियोजनाओं का संचालन करना तथा उन संस्थाओं व्यक्तियों को वित्तीय सहायता, संसाधन व सेवायें उपलब्ध कराना जो मानवता की सेवा व विकास के लिए जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्यरत है।
18. बच्चों के ठोस विकास के लिए पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, सीनियर उच्च माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा देने के उद्देश्य से, मान्यता लेकर, विद्यालय, महाविद्यालय प्रारम्भ करना, स्थापित करना, चलाना, अधिकार में लेना या प्रबंध करना और रख-रखाव करना।
19. उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम आदि के प्रसार एवं उन्नयन के लिए महाविद्यालय, अभियंत्रिकी महाविद्यालय, मेडिकल महाविद्यालय सहित नर्सिंग, फार्मेसी, पशुपालन आदि के प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना।
20. टंकण, शीघ्रलिपि, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, शिल्प, संगीत, पेंटिंग, मॉडलिंग, नृत्य, योग, शारीरिक शिक्षा और वृत्तिक विषयों में प्रशिक्षण संस्थानों का इंतजाम करना और प्रबंध करना।
21. हिन्दी भाषा की प्रोन्नति, के लिए विभिन्न कार्यक्रम हाथ में लेना। इसके अन्तर्गत राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर छात्र-छात्राओं के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करना, हिन्दी में लिखे संदर्भ ग्रन्थ, ज्ञान-विज्ञान, भाषा विज्ञान, साहित्य, आलोचना, समाज, संस्कृति तथा अन्य किसी भाषा से हिन्दी में अनुदित पुस्तकों का प्रकाशन एवं रख-रखाव करना, कवि-सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन, सम्मान-समारोह आदि सहित, वे सभी कार्यक्रम हाथ में लेना, जो हिन्दी भाषा की उत्थान, उन्नयन व प्रचार-प्रसार के लिए उपयोगी हों।
22. छात्रों और सोसाइटी के अन्य सदस्यों को भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सहायता, परिवहन, पुस्तकालय, प्रयोगशालायें, वाचनालय, छात्रावास, खेल मैदान, तरणताल और अन्य संभव सुविधायें उपलब्ध कराना।
23. संस्थान के कार्य और लक्ष्यों और उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए समुचित कर्मचारी, कर्मकार, विधि विशेषज्ञों, प्रबंधकों और एजेन्टों को काम में लगाना, नियोजित करना या किराये पर लेना और उनकी मजदूरी, वेतन, अध्ययनवृत्ति या फीस का भुगतान करना।
24. विभिन्न प्रकार के बाल-कल्याण कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों का इंतजाम करना और संचालन करना।
25. ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ रोजगार सृजन की दृष्टि से जनता में आत्मनिर्भरता एवं सुदृढ़ ग्राम स्वराज की भावना पैदा करने हेतु रोजगार प्रदान करने हेतु विविध ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना तथा इसके लिए खादी केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं वित्तीय संस्थानों, खादी ग्रामोद्योग आयोग, अन्य गैर सरकारी संस्थानों, निगमित व गैर निगमित वित्तीय संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, व्यक्तियों आदि से ऋण, अनुदान चन्दा, उपहार अथवा अन्य सहायता राशि, रोकड़ व अन्य किसी रूप में प्राप्त करना।

अध्यक्ष
विद्या भारती संस्थान
सीकर (राज.)

सचिव
विद्या भारती संस्थान
सीकर (राज.)

कोषाध्यक्ष
विद्या भारती संस्थान
सीकर (राज.)

26. संस्थान अथवा संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक व अन्य इकाईयों/परियोजनाओं के नाम से संस्थान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु, भूमि या भवन का क्रय/अर्जन करना, पट्टे पर लेना, विनिमय करना, किराये पर लेना या अन्य किसी तरीके से अर्जन करना और उस पर विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थान, ग्रामीण निर्मिति केन्द्र, पुस्तकालय, बाल विकास केन्द्र, पर्यावरण केन्द्र आदि सहित संस्थान के उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक भवन निर्माण करना।
27. संस्थान अथवा संस्थान द्वारा संचालित समस्त इकाईयों/परियोजनाओं के उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक और सुविधाजनक, सम्पूर्ण चल-अचल सम्पत्ति या भवन या उसके किसी भाग को संस्थित (खड़ा) करना, निर्माण करना, परिवर्तित या परिवर्द्धित करना, रख-रखाव करना, विक्रय करना, हटाना या तोड़ना, पट्टे पर देना, बन्धक अथवा रहन रखना, अन्तरित करना, सुधार करना, विकसित करना, उसका प्रबंध या नियंत्रण करना।
28. संस्थान अथवा संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न इकाईयों एवं परियोजनाओं द्वारा अर्जित या क्रय की गई चल एवं अचल सम्पत्तियों में निहित वास्तविक एवं वैयक्तिक स्वत्वाधिकारों को, अथवा बॉंड्स, प्रतिभूतियों व जमा राशियों में निहित हितों को, जो कि संस्थान से सरोकार रखते हैं, को, संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, किसी भी केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभाग, राष्ट्रीय व राज्य वित्तीय संस्थान, हडको, रीको, बैंक अथवा निजी क्षेत्र की निगमित अथवा गैर-निगमित संस्थानों या व्यक्तियों के हक में बंधक/रहन रख कर ऋण सुविधा व आर्थिक सहायता प्राप्त करना।
29. संस्थान अथवा संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न इकाईयों, परियोजनाओं व अन्य प्रकल्पों की चल व अचल सम्पत्तियों व अन्य व्यवस्थाओं और सुविधाओं के लिए सरकारी/गैर सरकारी वित्तीय संस्थान एवं विभाग, वित्तीय व अन्य संस्थाओं, संस्थान के सदस्यों, संस्थान से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षतः जुड़े अभिभावकों, विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं व्यक्तियों से, चन्दा, अनुदान, उपहार, ऋण अथवा अन्य सहायता राशि, रोकड़ व अन्य किसी रूप में प्राप्त करना।
30. संस्थान अथवा संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक व अन्य इकाईयों की अब तक की अर्जित और अब से बाद की सम्पूर्ण आय, अर्जन, चल/अचल सम्पत्तियों का स्वामित्व व एकाधिकार संस्थान का ही रहेगा। इन सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को क्रय/विक्रय, अथवा ऋण अथवा आर्थिक सहायता हेतु बंधक/रहन रखने एवं तत्सम्बन्धी दस्तावेजों के निष्पादन सम्बन्धी अधिकार संस्थान द्वारा कार्यकारिणी की सभा में अधिकृत व्यक्ति में ही निहित होंगे, न कि प्रत्येक सदस्य में।
31. संस्थान अथवा संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न इकाईयों/ परियोजनाओं की सम्पूर्ण आय, अर्जन, चल/अचल सम्पत्तियाँ केवल संस्थान के विधान में दिये गये लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति एवं प्रोन्नति में प्रयुक्त की जायेंगी और लगाई जायेगी और उसके/उनके किसी भी भाग का, संस्थान के वर्तमान या भूतपूर्व सदस्यों या किसी एक या एकाधिक वर्तमान या भूतपूर्व सदस्यों के माध्यम से मांग करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभांश, बोनस, लाभ या किसी भी रीति से भुगतान नहीं किया जायेगा। संस्थान के किसी भी सदस्य का संस्थान की किसी भी चल या अचल सम्पत्ति पर कोई व्यक्तिगत अधिकार/हक नहीं रहेगा अथवा वह संस्थान की सदस्यता के कारण कोई भी लाभ नहीं कमायेगा।
32. ऐसी अन्य बातें/कार्य/क्रियाकलाप करना जो आवश्यक हो और सोसाइटी के किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आनुषंगिक या सहयोगी हों।
33. सभी क्रियाकलाप अलाभकारी होंगे और "कोई लाभ हानि नहीं", आधार पर किये जायेंगे।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

(4) सदस्यता

(अ) निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे।

1. संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करता हो।
2. बालिग हो।
3. पागल, दीवालिये न हो।
4. संस्था के उद्देश्यों में रूचि व आस्था रखता हो।
5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

अध्यक्ष
विद्या भारती संस्थान
सीकर (राज.)

सचिव
विद्या भारती संस्थान
सीकर (राज.)

कोषाध्यक्ष
विद्या भारती संस्थान
सीकर (राज.)

(ब) संस्था निदेशक (वैतनिक पद) पर कार्यरत व्यक्ति साधारण सभा का स्थायी पदेन सदस्य होगा।

(स) नये सदस्यों की सदस्यता का अनुमोदन संस्थान के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से होगा।

(5) सदस्यों का वर्गीकरण

संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

1. संरक्षक　　2. विशिष्ट

3. सम्माननीय　　4. साधारण

(6) सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा

उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा।

1. संरक्षक	राशि 11,000/- वार्षिक
2. सम्माननीय	राशि 71,00/- वार्षिक
3. विशिष्ट	राशि 51,00/- वार्षिक
4. साधारण	राशि 31,00/- वार्षिक

(1) उक्त राशि एक मुश्त अथवा निर्धारित किश्त की मासिक दर से जमा कराई जा सकेगी।

(2) संस्था अपनी सुविधानुसार भविष्य में सदस्यता शुल्क में कमी या वृद्धि कर सकती है। सदस्यता शुल्क में वृद्धि अथवा कमी का निर्णय संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से होगा।

(7) सदस्यता से निष्कासन

संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार से किया जा सकेगा :-

1. मृत्यु होने पर।
2. त्याग पत्र देने पर।
3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।
4. कार्यकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैद्य समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

(8) साधारण सभा

संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

(9) साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य

साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे :-

1. कार्यकारिणी का चुनाव करना।
2. वार्षिक बजट पारित करना।
3. कार्यकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना।
   (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा)

अध्यक्ष
विद्या भारती संस्थान
सीकर (राज.)

सचिव
विद्या भारती संस्थान
सीकर (राज.)

कोषाध्यक्ष
विद्या भारती संस्थान
सीकर (राज.)

(10) साधारण सभा की बैठकें

1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।
5. संस्था के 1/3 सदस्यों के लिखित आवेदन करने पर सचिव/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/सचिव द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होंगे।

(11) कार्यकारिणी का गठन

(अ) संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे -

1.	अध्यक्ष	-	1
2.	उपाध्यक्ष	-	1
3.	सचिव	-	1
4.	कोषाध्यक्ष	-	1
5.	निदेशक (वैतनिक पद)	-	1
6.	सदस्य	-	6

इस प्रकार कार्यकारिणी में 5 पदाधिकारी व 6 सदस्य कुल 11 सदस्य होंगे।

(ब) संस्थान-निदेशक पद पर कार्यरत वैत्तनिक व्यक्ति कार्यकारिणी का स्थायी पदेन सदस्य होगा।

(12) कार्यकारिणी का निर्वाचन

1. संस्था की कार्यकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।
2. चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कार्यकारिणी द्वारा की जावेगी।

(13) कार्यकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे -

1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
2. वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था की सम्पति की सुरक्षा करना।
4. वैतनिक कर्मचारियो की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना, सेवा मुक्त करना।
5. साधारण सभा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

अध्यक्ष
विद्या भारती संस्थान
सीकर (राज.)

सचिव
विद्या भारती संस्थान
सीकर (राज.)

कोषाध्यक्ष
विद्या भारती संस्थान
सीकर (राज.)

(14) कार्यकारिणी की बैठकें

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. बैठक का कोरम कार्यकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती हैं।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त कार्यकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

(15) कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य

संस्था की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे –

(1) अध्यक्ष

1. बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठकें आहूत करना।
4. संस्था-सचिव अथवा संस्था-निदेशक की अनुपस्थिति में संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5. संस्था-सचिव अथवा संस्था-निदेशक की अनुपस्थिति में संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

(2) उपाध्यक्ष

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
2. कार्यकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

(3) सचिव

1. अध्यक्ष के परामर्श से प्रबन्ध समिति की बैठकें बुलाना और कार्य सूची तैयार करना।
2. प्रबन्ध समिति की बैठकों का संचालन करना और कार्यवाहियाँ अभिलिखित करना।
3. प्रबन्ध समिति के आदेशों और संकल्पों की निगरानी करना।
4. आय-व्यय पर नियंत्रण करना।
5. संस्था के लेखों की जाँच, पर्यवेक्षण और निगरानी करना।
6. अध्यक्ष और संस्था-निदेशक के परामर्श से बजट तैयार करना।
7. संस्था-अध्यक्ष अथवा संस्था निदेशक की अनुपस्थिति में संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
8. संस्था-अध्यक्ष अथवा संस्था निदेशक की अनुपस्थिति में कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

(4) कोषाध्यक्ष

1. वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।
2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना।
3. चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

अध्यक्ष
विद्या भारती संस्थान
सीकर (राज.)

सचिव
विद्या भारती संस्थान
सीकर (राज.)

कोषाध्यक्ष
विद्या भारती संस्थान
सीकर (राज.)

(5) निदेशक (पदेन)

(अ) नियुक्ति

1. संस्था-निदेशक पद पर कार्यरत वैतनिक अधिकारी ही कार्यकारिणी का स्थायी पदेन निदेशक होगा।
2. संस्था-निदेशक का पद पूर्णतः वैतनिक होगा।
3. संस्था-निदेशक संस्थान द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं/ परियोजनाओं का प्रशासनिक प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकारी होगा।
4. संस्था-निदेशक की नियुक्ति कार्यकारिणी द्वारा की जायेगी, जिसे साधारण सभा के 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवाना होगा।
5. संस्था-निदेशक को दिए जाने वाले वेतन, भत्तों व अन्य सभी सुविधाओं का निर्धारण कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा।

(ब) निदेशक के कार्य, अधिकार एवं कर्त्तव्य

1. संस्थान के निमित्त पत्र-व्यवहार करना।
2. कार्यकारिणी के समस्त निर्णयों, आदेशों व संकल्पों का क्रियान्वयन करना।
3. संस्थान अध्यक्ष एवं संस्थान सचिव के परामर्श एवं मार्गदर्शन से संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक सभी प्रशासनिक-प्रबन्धकीय कार्य एवं नियंत्रण करना।
4. संस्थान की विनिहित निधियों, स्वत्व विलेखों और अन्य दस्तावेजों और कागज पत्रों का प्रभार रखना।
5. संस्थान के बैंक खाते खुलवाना और चलवाना।
6. संस्थान की समस्त वित्तीय व्यवस्थाओं एवं आय-व्यय पर नियंत्रण रखना।
7. संस्थान के समस्त लेखों की जाँच, हस्ताक्षर व पर्यवेक्षण करना।
8. संस्थान अध्यक्ष व सचिव के परामर्श से बजट तैयार करना।
9. मंजूर बजट प्रावधानों के अनुसार संस्था का व्यय मंजूर करना।
10. संस्थान का प्रतिनिधित्व करना।
11. संस्थान से सम्बन्धित समस्त कानूनी एवं वैधानिक दस्तावेजों, अनुबंधों, शपथ-पत्रों आदि पर संस्थान की ओर से हस्ताक्षर करना।
12. ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो प्रबन्ध समिति द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जाये।

(16) संस्थान का कोष :

(1) संस्थान का कोष निम्न प्रकार से संचित/संचालित होगा :-
(1) चन्दा (2) शुल्क (3) अनुदान (4) सहायता
(5) राजकीय अनुदान (6) ऋण

(2) उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/निजी क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्था में सुरक्षित की जायेगी।

(3) संस्थान एवं इसके द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं/परियोजनाओं के बैंक खातों का संचालन संस्थान अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष में से कोई एक पदाधिकारी, (जिसे कार्यकारिणी अनुमोदित करे) तथा संस्था निदेशक के संयुक्त हस्ताक्षरों से संभव हो सकेगा।

(4) विशेष परिस्थिति के चलते, प्रशासनिक एवं व्यवस्था की दृष्टि से कार्यकारिणी विशेष प्रस्ताव पारित कर संस्थान-निदेशक को भी बैंक खातों के संचालन के लिए अधिकृत कर सकेगी।

(17) कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार

संस्था के हित में तथा कार्य व समय को आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संख्या की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे -

1. अध्यक्ष - 15,00,000/-

अध्यक्ष
विद्या भारती संस्थान
सीकर (राज.)

सचिव
विद्या भारती संस्थान
सीकर (राज.)

कोषाध्यक्ष
विद्या भारती संस्थान
सीकर (राज.)

2. सचिव - 10,00,000/-
3. कोषाध्यक्ष - 10,00,000/-
4. निदेशक - 10,00,000/-

उपरोक्त राशि का अनुमोदन कार्यकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षण की नियुक्ति कार्यकारिणी द्वारा की जायेगी।
उपरोक्त राशि का अनुमोदन कार्यकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षण की नियुक्ति कार्यकारिणी द्वारा की जायेगी।

(18) संस्था का अंकेक्षण

संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा।

(19) संस्थान के विधान में परिवर्तन

संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

(20) संस्था का विघटन

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

(21) संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण

रजिस्ट्रार संस्थायें, सीकर को संस्था के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा किये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) विद्या भारती संस्थान की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

दि. 10/12/10

प्रमाणित [illegible] जाता है कि
[illegible] पत्रावली
में [illegible] है।

रजिस्ट्रार संस्थाएं, सीकर

अध्यक्ष
विद्या भारती संस्थान
सीकर (राज.)

सचिव
विद्या भारती संस्थान
सीकर (राज.)

कोषाध्यक्ष
विद्या भारती संस्थान
सीकर (राज.)